रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 1993/भाद्र 17, 1915
No. 308] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 1993/BHADRA 17, 1915

पर्यावरण और वन मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1993

विषय: स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार

सा.का.नि. 596(अ).—प्रदूषण नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों के संबंध में 20 अगस्त, 1992 की अधिसूचना सा.का.नि. 736(ई) के क्रम में, निम्नलिखित को शामिल किया जा रहा है:—

श्री राजीव गांधी के जन्म के स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर, भारत सरकार ने उद्योगों विशेषकर अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों द्वारा स्वच्छ (क्लीनर) प्रौद्योगिकियों अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए उनके नाम पर एक राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है।

यह निर्णय प्रौद्योगिकीय उन्नयन की दिशा में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा किए गए अथक प्रयासों और पर्यावरण के संबंध में उनकी विशेष रूप से अति संवेदनशीलता को मान्यता देने के लिए किया गया है।

यह पुरस्कार एक ट्राफी के रूप में उस औद्योगिक इकाई को दिया जायेगा, जो ऐसी नई प्रौद्योगिकी के विकास अथवा वर्तमान प्रौद्योगिकी में नए सुधार, अथवा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को अपनाने और प्रयोग करने में

महत्वपूर्ण और परिमेय योगदान करेगी, जिनमे पर्यावरणीय प्रदूषण काफी कम हो जाता हो, उसकी समाप्ति अथवा निवारण हो जाता हो ।

प्रदूषण निवारण का उद्देश्य वायु, मृदा और जल की गुणवत्ता को सुधारना, प्राकृतिक ससाधनों का संरक्षण करना तथा व्यावहारिक और सस्ते साधनों के जरिए प्रदूषकों की उत्पत्ति का निवारण करना है।

इस संबंध में किये जाने वाले कार्यो मे ऊर्जा अथवा अन्य ससाधनो की बचत करने वाली नई प्रौद्योगिकियां शुरू करना, कम प्रदूषक सामग्री का प्रयोग करने के लिए उत्पाद पुनर्निर्माण अथवा प्रतिस्थापन और प्रदूषण कम करने वाली सशोधित अथवा नई प्रक्रियाए शामिल हो सकती हैं।

प्रदूषण के निवारण हेतु 26 अगस्त, 1992 को अधिसूचित राष्ट्रीय पुरस्कारों की मौजूदा स्कीम मे हर वर्ष 23 पुरस्कार देने का प्रावधान है । इनमे से एक-एक पुरस्कार अत्यधिक प्रदूषक उद्योगो की अभिनिर्धारित 18 श्रेणियों, चीनी, (उर्वरक, सीमेंट, किण्वन और मद्य निर्माण, एल्यूमिनियम, पेट्रो-रसायन, ताप-विद्युत्, कास्टिक सोडा, तेल-शोधन, सल्फ्यूरिक एसिड, तांबा प्रगलन, जस्ता प्रगलन, लौह एव इस्पात, चर्मशोधन, लुगदी और कागज, डाई और डाई इन्टरमीडिएटस, कोटनाशी, औषध-निर्माण) मे और पाच पुरस्कार लघु उद्योग श्रेणी मे है।

इन पुरस्कारों के लिए नामांकनों की समीक्षा करते समय, चयन समिति इनमे से "स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार" हेतु सर्वोत्तम, विशेष कर स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने की दृष्टि से सर्वोत्तम इकाई की शिनाख्त करेगी ।

इस सबध मे गुणवत्ता और मात्रा दोनों की दृष्टि से किए गए योगदान का महत्व तथा पर्यावरण और परिमेय प्रभाव चुनाव के लिए प्रमुख मापदण्डों में से होंगे ।

[क्यू--16016/52/90--सी. पी. ए]

टी. जार्ज जोसेफ, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

RESOLUTION

New Delhi, the 8th September, 1993

Subject.—Rajiv Gandh Environment Award For Clean Technology.

G.S.R. 596(E).—In continuation of the notification bearing G S.R. 736(E) of 26th August, 1992 on National Awards for Prevention of Pollution, the following addition is being made.

On the occasion of the golden jubilee anniversary of his birth, the Government of India have decided to institute a National Award named after Shri Rajiv Gandhi to encourage the adoption of clean process technologies by industries, particularly those in the highly polluting categories.

This is in special recognition of the late Prime Minister's vigorous efforts at technological upgradation, and his particularly acute environmental sensitivity.

The Award will be granted in the form of a trophy to the meritorious unit which makes a significant and measurable contribution towards the development of new, or innovative modification of existing, or remarkable adoption and use of clean technologies and practices that substantially reduce, eliminate or prevent environmental pollution.

Pollution prevention aims at improving the quality of air, soil and water, at conserving natural resources and at preventing the generation of pollutants through viable and cost effective means.

The activities can include new technologies that save energy or other resources, product reformulation or substitution to use fewer polluting materials, and modified or new processes which reduce pollution.

In the existing scheme of National Awards for the Prevention of Pollution, as notified on 26th August, 1992 there is a provision for 23 awards to be given each year, one in each of the identified eighteen categories of highly polluting industries (sugar, fertiliser, cement, fermentation and distilleries, aluminium, petro-chemicals, thermal power, caustic soda, oil refinery, copper smelting, sulphuric acid, zinc smelting, iron and steel, tanneries, pulp and paper, dye and dye intermediates, pesticides, pharmaceuticals), and five in the small-scale category.

While reviewing the nominations for these awards, the Selection Committee shall identify the best among these, particularly from the angle of adoption of clean technology, for the Rajiv Gandhi Environment Award for Clean Technology.

The significance of the contribution, both in qualitative as well as quantitative terms, as well as measurable impact on the environment will be among the major criteria for selection.

[Q-16016|52|90-CFA]

T. GEORGE JOSEPH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993